निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 45 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, मुख्य अभियंता, स्तर -2, सिचाई विभाग हरिद्वार, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर -2, सिचाई विभाग हरिद्वार के माह 12/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 12/09/2018 से 15/9/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा व सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक ..... से ..... तक श्री.....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह..... से.....तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। (प्रतिवेदन अप्राप्त है) वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 8/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	---	----				-
2016-2017	-	-	23.85	19.49			4.36	-
2017-2018	-	-	118.43	112.05			6.38	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी “सी” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़, मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की, मुख्य अभियंता स्तर -2 हरिद्वार, मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहारादून , अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल रुड़की ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में मुख्य अभियंता, स्तर -2, सिचाई विभाग हरिद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, स्तर -2, सिचाई विभाग हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2018 एव 3/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) .....का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. .. से ... तक..... निरीक्षण .....किया गया। (शून्य)
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... तथा ..... तक की गई।
5. फार्म 51: माह ... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ..

   भाग द्वितीय ..
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम...

   (ख) सामग्री क्रय....शून्य

   (ग) नगद परिशोधन....शून्य

   (घ) निक्षेप.... (रु मे) -----

   (ङ) भण्डार.... ---------

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 1 – धनराशि रू0 7.60 लाख के गुणात्मक स्टॉक की वसूली का लम्बित रहना।

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 989/23–9–99–11 ए0सी0/96 दि0 12 मई, 1999 के अनुसार, यदि किसी निर्माण कार्य की जॉच में कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है अथवा त्रुटिपूर्ण माप के कारण अधिक भुगतान हुआ पाया जाता है जिस कारण शासन को हानि पायी जाती है तो उस हानि की वसूली 50 प्रतिशत ठेकेदार व 50 प्रतिशत उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी चाहिए।

मुख्य अभियन्ता स्तर–2, सिचांई विभाग, हरिद्वार के अभिलेखों की जॉच के दौरान संज्ञान में आया कि दिसम्बर 2010 में सिचांई खण्ड, टिहरी के स्टॉक रजिस्टर के मिलान के दौरान खण्ड के अन्तर्गत तृतीय उपखण्ड धनसाली के स्टॉक लेखे में 2660 बैग सीमेन्ट की गुणात्मक भिन्नता दर्शित हुई थी। जॉच उपरान्त, 2660 सीमेन्ट बैग की विसंगति के सम्बन्ध में तत्कालीन स्टॉक इश्यू रेट रू0 286 प्रति बैग की दर से उक्त सीमेन्ट बैगों की कीमत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता पर नियमानुसार अग्रिम प्रकीर्ण डाल कर वसूली की कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी थी, जिसके परिवेक्ष्य में अधीक्षण अभियन्ता महोदय ने अपने कार्यालय ज्ञाप दि0 20 जून 2017 द्वारा रू0 7.60 लाख की वसूली के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों से करने के निर्देश दिये थे जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा तिथि (सितम्बर 2018) तक लम्बित थी।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सभी बिन्दुओं पर सूचना सम्बन्धित खण्ड से प्राप्त कर उपलब्ध करायी जायेगी।

सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा प्रकरण की उद्यतन स्थिति एवं त्वरित वसूली का संज्ञान पूर्व में ही लिया जाना चाहिए था।

अतः शीघ्र वसूली की प्रत्याशा में प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
प्रथम लेखा परीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखा परीक्षा है।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु ... मुख्य अभियंता, स्तर -2, सिचाई विभाग हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री दिनेश चन्द्र	मुख्य अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य अभियंता, स्तर -2, सिचाई विभाग हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(शून्य)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2